ई–मेल

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

प्रधानाचार्य / प्रबन्धक,
सुभारती मेडिकल कालेज,
मेरठ।

संख्याः एम0ई0–3 / 2023 / 1709 लखनऊः दिनांक 05 अगस्त 2023

विषयः नीट यू0जी0 2023 के माध्यम से सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों से शासन द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिये जाने वाले शुल्क के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ द्वारा अपनी वेबसाईट पर स्वयं को अल्पसंख्यक संस्था (बुद्विस्ट) मानते हुए शैक्षणिक सत्र 2023–24 में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों से कालेज द्वारा अपने स्तर से निर्धारित शुल्क लिए जाने की सूचना एवं इस कार्यालय के पत्र संख्या–एम0ई0–3 / 2023 / 1413 दिनांक 01 जुलाई 2023 एवं उक्त के संबंध में आप द्वारा प्रेषित पत्र संख्या–एम.एम.सी. / जी / एम–60 / 3849 दिनांक 04.7.2023 की प्रति वेबसाईट पर प्रदर्शित की गयी है।

इस संबंध में अवगत कराना है कि आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 04.7.2023 के संबंध में इस कार्यालय के पत्र संख्या–एम0ई0–3 / 2023 / 1566 दिनांक 19 जुलाई 2023 (**संलग्नक–1**) द्वारा सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ की यू0जी0 / पी0जी0 पाठ्यक्रम की समस्त सीटों को ओपेन श्रेणी के अन्तर्गत सम्मिलित करते हुए काउंसिलिंग के माध्यम से आवंटन की कार्यवाही किये जाने के निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या–। / 360946 / 2023 दिनांक 02 अगस्त 2023 (**संलग्नक–2**) द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021–22 हेतु निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेजों / डीम्ड विश्वविद्यालयों में संचालित स्नातक स्तरीय (एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0) एवं परास्नातक (एम0डी0 / एम0एस0 / एम0डी0एस0) पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित शुल्क को ही शैक्षणिक सत्र 2023–24 हेतु यथावत लागू किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

शासनादेश संख्या–। / 120293 / 2021 दिनांक 08.12.2021 **(संलग्नक–3)** द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021–22 हेतु निजी क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित मेडिकल / डेण्टल कालेजों / डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसमें सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ हेतु रू0 11,85,133 / –शिक्षण शुल्क निर्धारित किया गया है।

सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ द्वारा अपनी वेबसाईट पर शैक्षणिक सत्र 2023–24 हेतु एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम के अभ्यर्थियों से लिये जाने वाले शुल्क के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिए जाने का दुष्प्रचार करते हुए भ्रामक सूचना प्रदर्शित की गयी है।

आप अवगत है कि चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1281 / 71–4–2018–एन / 98टी0सी0 दिनांक 26 जुलाई 2018 (**संलग्नक–4**) द्वारा सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ को अल्पसंख्यक संस्था माने जाने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है तथा तद्दिनांक तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ को अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है।

सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ द्वारा वेबसाईट पर प्रदर्शित किया गया शुल्क शासनादेश संख्या–। / 120293 / 2021 दिनांक 08.12.2021 द्वारा निर्धारित शुल्क एवं उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन), अधिनियम 2006 में निहित प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः उक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ की वेबसाईट पर शुल्क के संबंध में प्रदर्शित भ्रामक सूचना तत्काल हटाने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं नीट यू0जी0 2023 के माध्यम से सुभारती मेडिकल

कालेज, मेरठ में आवंटित अभ्यर्थियों से शासनादेश संख्या– I/120293/2021 दिनांक 08.12.2021 द्वारा निर्धारित शुल्क ही जमा कराया जाए।

कृपया तत्काल स्पष्ट करें कि क्यों न नीट यू0जी0 2023 की आगामी चक्रों की काउंसिलिंग में सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ की एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की सीटों को सम्मिलित न किया जाए एवं शुल्क निर्धारण संबंधी शासनादेश एवं उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन), अधिनियम 2006 में निहित प्राविधानों का उल्लंघन करने के दृष्टिगत आपके कालेज की मान्यता समाप्त किये जाने हेतु भारत सरकार/एन0एम0सी0, नई दिल्ली को संस्तुति सहित पत्र प्रेषित कर दिया जाए।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

कृते महानिदेशक

संख्याः एम0ई0–3/2023/ तद्दिनांक/

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कृते महानिदेशक

संलग्नक –1

ई–मेल

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
सुभारती मेडिकल कालेज,
मेरठ।

संख्याः एम0ई0–3/2023/1566 लखनऊः दिनांक 19 जुलाई 2023

विषयः नीट यू0जी0/पी0जी 2023 के अन्तर्गत सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ की सीटों को अल्पसंख्यक श्रेणी के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या–एस0एम0सी0/जी/एम–60/3848 दिनांक 04.7.2023 तथा पत्र संख्या–एस0एम0सी0/जी/एम–60/3940 दिनांक 17.7.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस संदर्भ में कहना है कि **इस कार्यालय के पत्र संख्या–एम0ई0–3/2023/1413 दिनांक 01 जुलाई के साथ संलग्न तालिका का आशय मात्र मेडिकल कालेज की सीटों की संख्या को सत्यापित कराया जाना था, इससे यह कदापि स्थापित नहीं होता है कि इस कार्यालय द्वारा सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ को अल्पसंख्यक समुदाय का संस्थान मान लिया गया है।**

उल्लेखनीय है कि चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1281/71–4–2018–एन/98टी0सी0 दिनांक 26 जुलाई 2018 द्वारा सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ को अल्पसंख्यक संस्था माने जाने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है तथा तद्दिनांक तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ को अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है।

अतः उक्त के क्रम में शैक्षणिक सत्र 2023–24 हेतु सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ में यू0जी0/पी0जी0 पाठ्यक्रम की समस्त सीटों को ओपेन श्रेणी के अन्तर्गत सम्मिलित करते हुए काउंसिलिंग के माध्यम से आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। तदनुसार अवगत होना चाहें।

भवदीय,

(किंजल सिंह)
महानिदेशक।

संलग्नक -2

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव
उ0प्र00 शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 02 अगस्त, 2023

विषयः-शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु प्रदेश के निजी क्षेत्र के अन्तर्गत मेडिकल/डेण्टल कालेजो/डीम्ड विश्वविद्यालयों मे संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0-3/2023/683 दिनांक-20.03.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु निजी क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित मेडिकल/डेण्टल कालेजो/डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए शासनादेश संख्या-I/120293/2021/71-4099/34/2021 दिनांक 08.12.2021 द्वारा एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम, शासनादेश संख्या-I/120291/2021/71-4099/34/2021 दिनांक 08.12.2021 द्वारा बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम, शासनादेश संख्या-I/120294/2021 /71-4099/34/2021(पार्ट-2) दिनांक 08.12.2021 द्वारा एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रम तथा शासनादेश संख्या-I/109712 /2021/71-4099/34/2021 दिनांक 27.10.2021 द्वारा एम0डी0एस0 पाठ्यक्रम के लिए शुल्क निर्धारित किया गया हैं।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रवेश एवं फीस नियमन समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त शैक्षणिक सत्र वर्ष-2021-2022 हेतु निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजो/डीम्ड विश्वविद्यालयों में संचालित स्नातक स्तरीय (एम0बी0बी0एस0/ बी0डी0एस0) एवं परास्नातक स्तरीय (एम0डी0/एम0एस0/एम0डी0एस0) पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित शुल्क को ही शैक्षणिक सत्र-2023-2024 हेतु यथावत लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4- उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षणिक सत्र2023-24 में निजी क्षेत्र के स्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने वाले नये मेडिकल कालेज (एस0के0एस0 मेडिकल कालेज, मथुरा) एवं परास्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने वाले निजी संस्थानों (कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज, मथुरा व यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज) का शुल्क वर्ष 2021-22 की भांति औसत के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

5- कृपया उपर्युक्तानुसार लिए गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
Signed by आलोक कुमार
Date: 02-08-2023 16:22:11
Reason: Approved
(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, नेशनल मेडिकल कमीशन, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

5. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बांसमंण्डी चौराहा, लखनऊ
6. प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,सम्बन्धित मेडिकल/डेण्टल कालेज/डीम्ड विश्वविद्यालय, द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ।
7. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 09 दिसम्बर, 2021

विषयः- निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित स्नातक स्तरीय (एम0बी0बी0एस0) पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु शुल्क निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र एम0ई0-3/2021/2384, दिनांक 18.11.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित स्नातक स्तरीय (एम0बी0बी0एस0) पाठ्यक्रम का शुल्क निर्धारित किये जाने हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-4(1) के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की फीस/शुल्क निर्धारित किये जाने के संबंध में प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 की विज्ञप्ति संख्या-1622/ 71-4-2020-37/2015 टी0सी0 दिनांक 13.10.2020 द्वारा फीस नियमन के लिए समिति का गठन किया गया है।

3- उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-3(घ) के अनुसार फीस का तात्पर्य समस्त फीस, जिसमें शिक्षण फीस या विकास प्रभार भी है, से है। उक्त अधिनियम की धारा-10 में शुल्क निर्धारण हेतु निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किये गये हैः-

10- (1) समिति किसी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस को निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगीः-

(एक) व्यावसायिक पाठ्यक्रम का स्वरुप

(दो) उपलब्ध अवसंरचना

(तीन) व्यावसायिक संस्था की उन्नति और उसके विकास के लिए आवश्यक समुचित बचत

(चार) प्रशासन और अनुरक्षण पर व्यय य

(पॉच) संस्था के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों पर व्यय

(छः) कोई अन्य सुसंगत कारक।

(2) समिति, कोई फीस निधारित करने के पूर्व संस्था को सुनवाई का अवसर देगी, परन्तु, ऐसी कोई फीस जैसी समिति द्वारा निर्धारित की जाए मुनाफाखोरी या शिक्षा के वाणिज्यीकरण के लिये नहीं होगी।

4- सम्बन्धित संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ हुए विचार-विमर्श के उपरान्त उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-10 (1) में उल्लिखित प्राविधानों तथा धारा-10(1)(छः) के अन्तर्गत निम्नलिखित मानदण्डों को संज्ञान में लेते हुए शुल्क निर्धारित किए जाने का विनिश्चय किया गया:-

i. आर्थिक उपयोगी जीवन (Useful Economic Life) को ध्यान में रखते हुए कम्पनी अधिनियम-2013 द्वारा निर्धारित ह्रास की दरें ही मेडिकल कालेज की सम्पत्तियों के संबंध में अनुमन्य की जायेगी।
ii. संस्था की वर्ष 2019-20 की Audited Balance Sheet के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए शुल्क आंकलन औसत 07 प्रतिशत प्रतिवर्ष Inflation की दर पर किया जाय। यद्यपि वास्तविक Inflation दर इससे कम है, परन्तु फीस निर्धारण पूर्व में इसी दर पर किया जाता रहा है। तद्नुसार उक्त Inflation की दर के आधार पर वर्ष 2021-22 की फीस का निर्धारण किया जाना व्यावहारिक पाया गया। यह Inflation की दर केवल Variable Cost (वेतन, भत्ते आदि आवर्ती व्यय) पर ही अनुमन्य कराया गया है।
iii. Fixed Asset पर मात्र SLM (Straight Line Depreciation Method) के आधार पर Depreciation ही अनुमन्य कराया गया है।
iv. जहॉ UG & PG Courses दोनों संचालित हैं एवं उनका लेखा पृथक नहीं है, वहॉ व्यय 70:30 (UG:PG) का अनुपात रखा गया। जिन कालेजों में Nursing Courses या अन्य पाठ्यक्रम भी संचालित हैं एवं लेखा पृथक नहीं है, उनके कुल व्यय का 10 प्रतिशत भाग Nursing Courses या अन्य पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित करते हुए व्यय में से उक्त 10 प्रतिशत की धनराशि को अनुमन्यता से घटा दिया गया है।
v. समिति ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडमी आफ एजूकेशन बनाम स्टेट आफ कर्नाटक मामले में आब्जर्वेशन के अनुसार निजी संस्थाओं को विकास दर 06 से 15 प्रतिशत के मध्य रखने के आधार पर संस्था के भविष्य में विकास एवं सुधार हेतु 10 प्रतिशत की दर से धनराशि की व्यवस्था शुल्क ढांचे में करना

औचित्यपूर्ण पाया गया।

vi. नारायना मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर कानपुर में प्रथम बार एन0 बी0 बी0 एस0 में प्रवेश लिये जाने के कारण प्रथम बार शुल्क का निर्धारण किया जाना है। चूंकि इस कालेज में वर्ष-2019-2020 की बैलेंस सीट उपलब्ध नहीं हो सकती अतः इस कालेज का शुल्क औसत के आधार पर निर्धारित किये जाने का विनिश्चय किया गया।

vii. समिति द्वारा पूर्व से संचालित मेडिकल कालेजों के संदर्भ में नीट परीक्षा 2020 में अभ्यर्थियों द्वारा कालेजवार प्राप्त औसत अंको का भी संज्ञान लिया गया है। कालेजवार प्राप्त औसत अंकों को ***Standardise*** किया गया है।

viii. इसके अतिरिक्त संस्थाओं द्वारा बैलेंस सीट में दी गयी विभिन्न सूचनाओं का समिति द्वारा संज्ञान लिया गया तथा अनुमन्यता से अधिक खर्च यथा वेतन मद में अधिक वृद्धि बैलेंस सीट में अधिक ब्याज, अवमूल्यन आदि अमान्य खर्चों को disallow करते हुए बैलेंस सीट को वेटेज प्रदान किया गया। शासनादेश संख्या-1791/71-4-2020-37/2015 टी0 सी0, दिनांक 06.11.2020 द्वारा निर्धारित फीस तथा अमान्य खर्चो को disallow करने के पश्चात् बैलेंस सीट के आधार पर फीस का आगणन करते हुए दोनों के शुल्क में आ रहे अन्तर को भी ***Standardise*** किया गया है। कालेजवार ***Standardise*** औसत नीट स्कोर एवं ऊपर उल्लिखित ***Standardise*** शुल्क के अन्तर को जोड़कर कम्पोजिट ***Standardise*** स्कोर निकाला गया है। कम्पोजिट ***Standardise*** स्कोर के आधार पर न्यूनतम एवं अधिकतम स्कोर प्राप्त करने वाले कालेजों के बीच 8 प्रतिशत, जो अधिकतम है, को स्टेटिस्टिकल नार्मल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर आवंटित किया गया है।

ix. कालेजों में सभी प्रकार की सुविधाओं के उन्नयन एवं उच्चकोटि की शिक्षा को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से ***Quality Council Of India*** द्वारा प्रदान किये जाने वाले ***NABH (National Accreditation Board For Hospitals & Healthcare Providers)*** प्रमाण पत्र धारक कालेजों को, निर्धारित किये जाने वाले शुल्क में 01 प्रतिशत अंक का अतिरिक्त लाभ दिये जाने का विनिश्चय किया गया।

x. बिन्दु-(viii) एवं (ix) के आधार पर कालेजवार प्राप्त हो रहे प्रतिशत के अनुरूप शुल्क की वृद्धि किये जाने का विनिश्चय किया गया।

5- उक्त अधिनियम की धारा-10(2) के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के सभी मेडिकल कालेजों के प्रबन्धक/प्रधानाचार्यों को फीस नियमन समिति की बैठक दिनांक 22.10.2021 में सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा समिति के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया और यह अनुरोध किया गया कि संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये बैलेन्स शीट, इन्फ्लेशन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, संस्था के अवस्थित होने के स्थान आदि के आधार पर उनकी संस्थाओं का शुल्क निर्धारित किया जाय। फीस नियमन समिति द्वारा अपनी संस्तुतियों में उनका संज्ञान लिया गया है।

6- फीस नियमन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के आधार पर निजी क्षेत्र के निम्नलिखित मेडिकल कालेजों

द्वारा संचालित स्नातक पाठ्यक्रम एम0बी0बी0एस0 हेतु संबंधित संस्थाओं के सम्मुख अंकित शुल्क शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु एतद्द्वारा निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.सं	संस्था का नाम	निर्धारित शुल्क धनराशि रूपए) (में
1	श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बरेली।	13,73,760
2	स्कूल आफ मेडिकल साइंसेज़ एण्ड रिसर्च, ग्रेटर नोएडा।	12,69,319
3	सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ।	11,85,133
4	हिन्द इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज़, बाराबंकी।	11,70,612
5	मुजफ्फरनगर मेडिकल कालेज, मुजफ्फरनगर।	12,80,037
6	सरस्वती इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज़, हापुड़।	11,81,671
7	रूहेलखण्ड मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, बरेली	13,00,251
8	हैरिटेज इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज़, वाराणसी।	13,21,492
9	रामा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल कानपुर।	12,66,579
10	हिन्द इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज़, सीतापुर।	10,77,229
11	मेयो इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज़, बाराबंकी।	11,21,162
12	के0डी0 मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर मथुरा।	12,28,240
13	राजश्री मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बरेली।	12,28,406
14	रामा मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, हापुड़	13,09,968
15	प्रसाद इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज़, लखनऊ।	11,03,932
16	टी0एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, अमौसी, लखनऊ।	12,99,199
17	नोएडा इन्टरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़, गौतमबुद्धनगर।	11,92,211
18	जी0एस0 मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हापुड़।	11,78,892
19	सरस्वती मेडिकल कालेज, उन्नाव।	11,59,610
20	यूनाईटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़, प्रयागराज।	11,90,401
21	नेशनल कैपिटल रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़, मेरठ। (एम0एस0वाई0 मेडिकल कालेज, मेरठ)	12,19,917
22	कृष्ण मोहन मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मथुरा।	11,73,856
23	वरूणार्जुन मेडिकल कालेज एण्ड रूहेलखण्ड हास्पिटल, शाहजहांपुर।	12,10,000
24	श्री वेंकटेश्वरा इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज,गजरौला, अमरोहा।	11,10,508
25	नारायना मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर कानपुर	12,14,683

7- फीस नियमन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के आधार पर निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित स्नातक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त शैक्षणिक शुल्क के अन्य समस्त शुल्क शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु एतद्द्वारा निर्धारित किये जाने की भी श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

1. छात्रावास शुल्क-

(ए) नॉन ए0 सी0 - रू0 1,50,000 प्रतिवर्ष।

(बी) ए0 सी0 - रू0 1,75,000 प्रतिवर्ष।

उक्त शुल्क में मेस शुल्क सम्मिलित है। एक कक्ष में दो से अधिक छात्र नहीं रखे जायेंगे। छात्रों को ब्रेक फास्ट, लन्च व डिनर उपलब्ध कराया जायेगा। आहार पौष्टिक तथा वेरायटी का होगा।

2. सिक्योरिटी डिपॉजिट (वापसी योग्य)-

हास्पिटल, लाईब्रेरी, लेबोरेट्री एवं अन्य समस्त सिक्योरिटी राशि को शामिल करते हुएः- रू0 3,00,000 (एक बार)।

3. विविध शुल्क- रू0 85,600 प्रतिवर्ष।

उक्त विविध शुल्क में समस्त प्रकार के शुल्क एवं चार्जेज यथा विश्वविद्यालय पंजीकरण, डेवलपमेंट फीस, लाइब्रेरी फीस, स्टूडेन्ट एसोशियेशन फीस, जिम एण्ड स्पोर्टस फीस, प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि सम्मिलित है।

8- शैक्षणिक शुल्क छात्रों से प्रतिवर्ष जमा कराया जायेगा एवं किसी भी दशा में शैक्षणिक शुल्क की राशि एकमुश्त अग्रिम के तौर पर जमा नहीं करायी जायेगी। संबंधित मेडिकल कालेज उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क से कम शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

9- उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क की सूचना महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ की अधिकृत वेबसाइट http://upmededu.in पर प्रदर्शित की जायेगी तथा संस्थाओं द्वारा भी इस आदेश द्वारा निर्धारित शुल्क की सूची अपनी अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

10- उपर्युक्त के क्रम में मझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा लिए गये निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

/120293/2021

Signed by आलोक कुमार
Date: 07-12-2021 11:11:33
Reason: Approved

(आलोक कुमार)

प्रमुख सचिव

संख्या एवं तद्दिनांक तदैव

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया, कोटला रोड, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बॉसमण्डी चैराहा, लखनऊ।
6. प्रबंधक/प्रधानाचार्य, संबंधित मेडिकल कालेज द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

संलग्नक-(4)

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4
संख्या– 1281 /71–4–2018–एन–24/98टी0सी0
लखनऊ : दिनांक 26 जुलाई, 2018

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

नेशनल कमीशन फार माइनारिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट–2004 की धारा–2(जी) के अन्तर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग द्वारा सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ को केस संख्या–1222/2015 सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ, उ0प्र0 बनाम डिप्टी डायरेक्टर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 में पारित निर्णय दिनांक 20.03.2017 के अनुपालन में अल्पसंख्यक संस्था घोषित करने का प्रमाण पत्र दिनांक 26.04.2018 को निर्गत किया गया है।

2– एम0टी0वी0 बुद्धिष्ट रेलीजियस एण्ड चैरिटेबिल ट्रस्ट, मेरठ द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली से निर्गत प्रमाण पत्र दिनांक 26.04.2018 की प्रति सहित सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ को अल्पसंख्यक संस्था घोषित करने की कार्यवाही शासन स्तर से किए जाने का अनुरोध अपने पत्र दिनांक 22.05.2018 एवं 12.06.2018 से किया गया है। उक्त प्रत्यावेदन दिनांक 12.06.2018 में निम्नलिखित तथ्य उल्लिखित किये गये है:–

(i) शासनादेश दिनांक 28.08.1999 किसी संस्था को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किए जाने से संबंधित है। वर्तमान प्रकरण में चूंकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली द्वारा सुभारती मेडिकल कालेज को पहले ही अल्पसंख्यक संस्थान घोषित किया जा चुका है अतः उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश दिनांक 28.08.1999 के अन्तर्गत पुनः अल्पसंख्यक संस्थान घोषित किए जाने का कोई औचित्य नहीं है।

(ii) वर्ष 2004 में भारत सरकार के द्वारा मा0 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग का गठन किया जा चुका है तथा किसी भी संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा देने या न देने का सम्पूर्ण अधिकार आयोग के पास निहित है। यहां तक की राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक दर्जा दिए गए संस्थानों को दर्जा देने व निरस्त करने का अधिकार आयोग के पास है।

(iii) उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 18 मई 2016 को शासनादेश संख्या–1552/52–3–2016–रिट(30)/14 जारी किया गया था जिसमें स्पष्ट रूप से वर्णित है कि "अब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग द्वारा किसी संस्था को अल्पसंख्क संस्था घोषित किए जाने के उपरान्त शासन के संबंधित विभाग द्वारा उक्त संस्था को अल्पसंख्यक संस्था ट्रीट करते हुए प्रमाण पत्र दिया जाना है।"

(iv) शासनादेश दिनांक 18 मई 2016 स्वतः इस बात को स्पष्ट करता है कि शासनादेश संख्या–जी0आई0–72/इकहत्तर–3–99–एम–24/98 दिनांक 28.08.1999 निरस्त किया जा चुका है अथवा वर्तमान में अस्तित्व विहीन है।

(v) शासनादेश दिनांक 18 मई 2016 के क्रम में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शासनादेश संख्या–3/2017/597/सत्तर–6–2017–22/22/2017 दिनांक 24.07.2017 जारी किया गया था। इस शासनादेश में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग द्वारा घोषित अल्पसंख्यक संस्थाओं को राज्य सरकार के संबंधित विभाग द्वारा अल्पसंख्यक संस्था के रूप में ट्रीट किए जाने की कार्यवाही वर्णित है।

3– सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या–21980/2018 एम0टी0वी0 बुद्विष्ट रेलीजियस एण्ड चैरिटेबिल ट्रस्ट व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22.06.2018 को निम्न निर्णय पारित किया गया है:–

"In view of the above, without expressing any opinion on the merits of the issue and considering the facts and circumstances of the case, on consent, the writ petition is disposed of finally with a direction to the Principal Secretary, Medical Education & Training, Government of U.P., Lucknow to look into the grievance of the petitioners and

pass appropriate order on the representation dated 12.6.2018 Annexture-16 to the writ petition expeditiously, preferably within a period of four weeks from the date of production of a certified copy of this order before him."

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय संस्था के प्राचार्य के पत्र दिनांक 28.06.2018 के माध्यम से शासन को दिनांक 28.06.2018 को उपलब्ध कराया गया है।

4– प्रश्नगत संस्था को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किये जाने का प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के क्रम में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली द्वारा वाद संख्या–1222/2015 सुभारती मेडिकल कालेज बनाम डिप्टी डायरेक्टर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 की ओर से शासन का पक्ष रखा गया अथवा नहीं तथा क्या आयोग द्वारा सरकार का पक्ष सुनने के बाद आदेश पारित किया गया है कि स्थिति ज्ञात कर अवगत कराने हेतु शासन के पत्र दिनांक 21.06.2018 से महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ को निर्देशित किया गया। महानिदेशक द्वारा पत्र दिनांक 11.07.2018 से अवगत कराया गया है कि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 ने अपने पत्र दिनांक 11.07.2018 के माध्यम से सूचित किया गया है कि शासनादेश दिनांक 18.05.2016 द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम–2004 की धारा–10 के अन्तर्गत संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग/प्राविधिक शिक्षा विभाग/माध्यमिक शिक्षा विभाग/बेसिक शिक्षा विभाग एवं व्यवसायिक शिक्षा विभाग को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने यह सूचित किया है कि उनके पत्र दिनांक 08.06.2018 के द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली को यह भी अवगत कराया गया है कि अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय में उप निदेशक, अल्पसंख्यक विभाग, उ0प्र0 के पद पर कोई अधिकारी नियुक्त/कार्यरत नही है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि किसी भी संस्था को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किये जाने संबंधी प्रकरण में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, दूसरे विभाग का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत नही है। इस प्रकार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से आयोग के समक्ष शासन का पक्ष नही रखा जा सका है।

5– महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 20.07.2018 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ के पत्र दिनांक 12.07.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार प्रकरण में मा0 आयोग के अनु सचिव द्वारा मौखिक रूप से सूचित किया गया है कि प्रमाण पत्र निर्गत करने के पूर्व राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली द्वारा सुनवाई का अवसर दिया गया था, किन्तु उनके किसी प्रतिनिधि द्वारा सुनवाई की तिथियों में उपस्थित न होने के कारण उक्त प्रमाण पत्र एकतरफा कार्यवाही करते हुए निर्गत किया गया है। राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ के पत्र दिनांक 18.07.2018 द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली द्वारा सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किये जाने के संबंध में वाद संख्या–1222/2015 सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ बनाम डिप्टी डायरेक्टर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 11.04.2016, दिनांक 27.10.2016 एवं दिनांक 20.03.2017 उपलब्ध करायी गयी है। मा0 आयोग द्वारा पारित अन्तिम आदेश दिनांक 20.03.2017 में निम्नलिखित तथ्य उल्लिखित है –

"None for the respondent Despite service of notice, there is no appearance on behalf of the respondent. Hence, the case is proceeded ex-parte."

6– उक्त वर्णित स्थिति से यह स्पष्ट है कि वाद संख्या–1222/2015 सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ बनाम डिप्टी डायरेक्टर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को प्रतिवादी बनाया गया है। इस प्रकार उक्त मेडिकल कालेज का वाद दायरा त्रुटिपूर्ण ही नहीं बल्कि शरारतपूर्ण है, क्योंकि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 के विभागाध्यक्ष निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग होते हैं। इसके अतिरिक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग को प्रतिवादी नही बनाया गया है, जबकि चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन उक्त संस्था सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ आती है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत उक्त संस्था नही है। चूंकि चिकित्सा शिक्षा विभाग को सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ द्वारा पक्षकार नही बनाया गया, ऐसी स्थिति में चिकित्सा शिक्षा विभाग को उक्त वाद की कोई सूचना प्राप्त नही हो सकी। इस प्रकार न तो अल्पसंख्यक

कल्याण विभाग द्वारा और न ही चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा राज्य सरकार का पक्ष मा0 आयोग के समक्ष रखा जा सका। इससे स्पष्ट है कि मा0 आयोग के समक्ष योजित केस संख्या–1222/2015 न चिकित्सा शिक्षा विभाग का पक्ष नही सुना गया और मा0 आयोग द्वारा Respondents को सुने बिना एकपक्षीय आदेश दिनांक 20.03.2017 पारित किया गया है। तदोपरान्त सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ को अल्पसंख्यक संस्था होने का प्रमाण पत्र दिनांक 26.04.2018 को निर्गत किया गया।

7– उक्त के कम में यह भी उल्लेख करना है कि सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ द्वारा प्रतिवादी के रूप में उप निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय को पक्षकार बनाया गया, जबकि प्रश्नगत प्रकरण में विपक्षी पक्षकार चिकित्सा शिक्षा विभाग ही है। इस प्रकार संस्था द्वारा मुख्य प्रतिवादी को छिपाकर उप निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को पक्षकार बनाकर मा0 आयोग को गुमराह करके आदेश प्राप्त किया गया। इसी सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि The National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004 की धारा–12(3) में आयोग की प्रत्येक Proceeding को Judicial Proceeding मानते हुए आयोग में सिविल कोर्ट की शक्तियां निहित हैं, जिसके फलस्वरूप नैसर्गिक न्याय एवं सिद्धांत के दृष्टिगत मा0 आयोग के समक्ष केस में संबंधित विपक्षी अर्थात चिकित्सा शिक्षा विभाग को भी पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था, किन्तु जैसा कि सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ द्वारा विपक्षी के रूप में उप निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय को पक्षकार बनाकर आदेश प्राप्त किया गया, जिसके फलस्वरूप मा0 आयोग द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग का पक्ष प्राप्त किये बिना आदेश पारित कर दिया गया। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में चिकित्सा शिक्षा विभाग का पक्ष सुनने के पश्चात् ही प्रकरण में संस्था को निर्गत अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र दिनांक 26.04.2018 के विरूद्व राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली में पुनर्विचार प्रार्थनापत्र दाखिल करने का निर्णय लेते हुए शासन के पत्रांक संख्या–1237/71–4–2018–एन–24/98 टी0सी0, दिनांक 26 जुलाई, 2018 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 को निर्देशित कर दिया गया है।

8– उक्त तथ्यों के आलोक में सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ के प्रत्यावेदन दिनांक 12.06.2018 के उक्त प्रस्तर–2 में उल्लिखित बिन्दुओं के संबंध में स्थिति निम्नवत है:–

1. संस्था द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 12.06.2018 के बिन्दु संख्या–1 व 2 पर किये गये अनुरोध के कम में स्थिति यह है कि अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1552/52–3–2016–रिट(30)/2014, दिनांक 18.05.2016 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग द्वारा किसी संस्था को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किये जाने के उपरान्त शासन के सम्बन्धित विभाग द्वारा उक्त संस्था को अल्पसंख्यक संस्था ट्रीट करते हुए प्रमाण पत्र दिया जाना है। इससे स्पष्ट है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग द्वारा संस्था को निर्गत अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र के पश्चात् अल्पसंख्यक संस्था ट्रीट करते हुए प्रमाण पत्र दिये जाने की व्यवस्था है। चूंकि जैसा कि पूर्व प्रस्तरों में उल्लेख किया जा चुका है कि प्रश्नगत मामले में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग के समक्ष संस्था द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग को पक्षकार नहीं बनाया गया, जिसके कारण चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा शासन का पक्ष नहीं रखा जा सका।
2. संस्था द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 12.06.2018 के बिन्दु संख्या–3 व 4 पर किये गये अनुरोध के कम में स्थिति यह है कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का शासनादेश दिनांक 18.05.2016, जिसके द्वारा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग द्वारा संस्थाओं को निर्गत अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र के संबंध में अल्पसंख्यक संस्था ट्रीट किये जाने की कार्यवाही के निर्देश हैं, के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेश में चिकित्सा शिक्षा विभाग को सम्मिलित नहीं किया गया है और न ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग का गठन 2004 में होने के बाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 द्वारा अल्पसंख्यक संस्था ट्रीट होने का शासनादेश दिनांक 18.05.2016 में चिकित्सा शिक्षा विभाग को कोई निर्देश नहीं दिया गया है।

3. संस्था द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 12.06.2018 के बिन्दु संख्या–5 पर किये गये अनुरोध के कम में स्थिति यह है कि उक्त शासनादेश उच्च शिक्षा विभाग के अधीन संस्थाओं पर ही लागू है, जबकि सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आता है। अतः ऐसी स्थिति में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर इस संस्था को अल्पसंख्यक संस्था ट्रीट किये जाने का अवसर नहीं है।

9– अतएव उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत रिट याचिका सं0–21980/2018 में पारित निर्णय दिनांक 22.06.2018 के अनुपालन में संस्था के प्रत्यावेदन दिनांक 12.06.2018 में वर्णित तथ्यों के अनुसार संस्था को अल्पसंख्यक संस्था माने जाने के संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा अग्रेतर कार्यवाही किये जाने की स्थिति नहीं बनती है और संस्था के उक्त प्रत्यावेदन दिनांक 12.06.2018 द्वारा किये गये अनुरोध को अस्वीकार करते हुए उक्त प्रत्यावेदन दिनांक 12.06.2018 को एतद्द्वारा निस्तारित किया जाता है।

डा0 रजनीश दुबे
प्रमुख सचिव।

संख्या– 1281 (1)/71–4–2018–तद्दिनांक–

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, एम0टी0वी0 बुद्धिष्ट रेलीजियस एण्ड चैरिटेबिल ट्रस्ट, मेरठ/प्रधानाचार्य सुभारती मेडिकल कालेज मेरठ।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
अनु सचिव।